भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2180

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डायलिसिस सुविधा की मांग

2180. श्री सनातन पांडेय:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में विशेषकर बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुर्दे की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण डायलिसिस सुविधाओं की मांग बढ़ रही है;
(ख) यदि हां, तो बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों और अन्य केंद्रों में उपलब्ध डायलिसिस मशीनों और डायलिसिस केंद्रों का ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित हुए मरीजों की वर्ष -वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने डायलिसिस सुविधाओं के विस्तार और गुर्दे की बीमारियों की रोकथाम के लिए किसी नई योजना या परियोजना का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में और उत्तर प्रदेश में नकली या मिलावटी कफ सिरप के कारण हुई कथित मौतों के मामलों की संख्या तथा जांच की स्थिति और इस संबंध में जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए औषधि गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): 'जन स्वास्थ्य' तथा 'अस्पताल' राज्य के विषय हैं। तथापि, भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत डायलिसिस सेवाओं सहित स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

एनएचएम के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जिला अस्पतालों में डायलिसिस केंद्र स्थापित कर पात्र रोगियों को निःशुल्क हीमोडायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराने तथा इन सेवाओं तक उनकी पहुंच में

सुधार लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतराल विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई उनके वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार डायलिसिस केंद्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

दिनांक 30.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, यह कार्यक्रम वर्तमान में 13,535 हीमोडायलिसिस मशीनों से सुसज्जित 1,856 हीमोडायलिसिस केंद्रों से माध्यम से सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 751 जिलों (जिनमें 44 सहबद्ध जिले भी शामिल हैं) में कार्यान्वित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य में, सभी 75 जिलों में डायलिसिस केंद्र कार्यशील हैं। बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अस्पताल, बलिया में 16 कार्यशील हीमोडायलिसिस मशीनों सहित डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध हैं। इन सेवाओं का संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से किया जा रहा है।

(घ) एवं (ङ): केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने उत्तर प्रदेश के राज्य औषधि नियंत्रक के समन्वय से उत्तर प्रदेश में संयुक्त जांच की। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण एवं विश्लेषण के लिए विनिर्माण परिसर से औषधियों के नमूने लिए गए। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के राज्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दिनांक 09.01.2023 को संबंधित फर्म का विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) भी दर्ज कराई गई।

देशभर में सुरक्षित, प्रभावकारी तथा गुणवत्तायुक्त औषधियों के आयात एवं विनिर्माण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित विनियामक उपाय किए गए हैं:-

(i) बच्चों के लिए प्रयुक्त कफ सिरप के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य विभागों तथा स्वास्थ्य संस्थानों को परामर्शी जारी की गई है।

(ii) कच्चे माल के परीक्षण की वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त, भारतीय भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद द्वारा भारतीय भेषज संहिता (आईपी), 2022 में संशोधन किया गया है।

(iii) देश में औषधि विनिर्माण परिसरों द्वारा विनियामक अनुपालन का आकलन करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) तथा राज्य औषधि नियंत्रकों (एसडीसी) द्वारा दिसंबर, 2022 से अब तक 960 से अधिक परिसरों का जोखिम-आधारित निरीक्षण किया गया है।

(iv) राज्य प्राधिकरणों के समन्वय से 1,100 से अधिक कफ सिरप विनिर्माताओं की गहन संपरीक्षा की गयी है। केंद्रीय एवं राज्य औषधि विनियामकों द्वारा सिरप फॉर्मुलेशनों के बाजार निगरानी नमूनों के संग्रहण एवं परीक्षण में भी वृद्धि की गई है।

(v) केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 922(अ) दिनांक 28.12.2023 के माध्यम से औषधि नियम, 1945 में संशोधन करते हुए उक्त नियमों की अनुसूची 'एम', जो उत्तम विनिर्माण प्रथाओं तथा ओषधीय उत्पादों के लिए परिसर, संयंत्र एवं उपकरणों की आवश्यकताओं से संबंधित है, का पुनरीक्षण किया है।

(vi) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने केंद्रीय एवं राज्य औषधि निरीक्षकों द्वारा औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों तथा चिकित्सा उपकरणों के नमूना संग्रहण हेतु विनियामक दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं।

(vii) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के एकीकरण के लिए सितंबर, 2023 से 'सुगम लैब्स' नामक ऑनलाइन पोर्टल संचालित किया जा रहा है।

(viii) वर्ष 2023 में ओषधि नियम, 1945 में संशोधन कर यह अनिवार्य किया गया है कि अनुसूची एच-2 में सूचीबद्ध शीर्ष 300 औषधि फॉर्मुलेशन ब्रांडों के विनिर्माता प्राथमिक पैकेजिंग लेबल पर अथवा स्थान की अपर्याप्तता होने पर द्वितीयक लेबल पर बार कोड अथवा क्यूआर कोड मुद्रित करें या चिपकाएं।

(ix) केंद्रीय औषधि विनियामक, राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों के साथ क्रियाकलापों का समन्वय करता है तथा औषधि परामर्शदात्री समिति की बैठकों के माध्यम से विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराता है।

(x) केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) तथा राज्य औषधि विनियामक प्राधिकरणों के अधिकारियों के लिए उत्तम विनिर्माण प्रथाओं पर नियमित आवासीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।
